न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 29/2023 जिला सीकर

1. संजय कुमार जांगिड पुत्र श्री गोपाल जांगिड जाति जांगिड निवासी कृषि उपज मण्डी के पीछे, बलराम नगर बसन्त विहार सीकर तहसील व जिला सीकर।
2. अब्दुल रसीद पुत्र मो0 इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी राजनगर धोद रोड वार्ड नं0 25 सीकर तहसील व जिला सीकर।
3. बजरंगसिंह पुत्र सांवरसिंह जाति राजपूत निवासी राजनगर धोद रोड वार्ड नं0 25 सीकर तहसील व जिला सीकर जरिए मुख्तयार अब्दुल रसीद पुत्र मो0 इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी राजनगर धोद रोड वार्ड नं0 25 सीकर तहसील व जिला सीकर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।
2. विमला देवी पत्नि स्व0 मंगलचन्द जाति दर्जी निवासिनी तिरूपति नगर रामपुरा रोड सीकर तहसील व जिला सीकर।
3. शंकरलाल पुत्र गणेशनारायण वेदी जाति दर्जी निवासी वेदियों का मोहल्ला बांडिया बास, सीकर तहसील व जिला सीकर।
4. उपपंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार सीकर दिनांक 31.01.2023 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 1890 ग्राम सीकर तहसील व जिला सीकर ।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री नरेन्द्र यादव।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —17.07.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सीकर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 31.01.2023 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सीकर में स्थित विवादित भूमि खसरा नं 1552 रकबा 2.16 है0 का तहसीलदार सीकर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1890 दिनांक 31.01.2023 को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पति स्व0 मंगलचन्द के वारिसों के नामान्तरकरण खोला गया

3. तहसीलदार सीकर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 31.01.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट संजय कुमार जांगिड पुत्र श्री गोपाल जांगिड वगै0 द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सीकर के नामान्तरकरण संख्या 1890 दिनांक 31.01.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नं 1552 रकबा 2.16 है0 के 1/2 हिस्से के लिए रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पति मंगलचन्द के विरूद्व उदघोषणा एवं बंटवारा का दावा पेश किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा शंकरलाल के पक्ष में डिक्री की गई जिसकी अपील मंगलचन्द द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष करने पर अपील खारिज फरमा दी गई जिसके विरूद्व मंगलचन्द ने राजस्व मण्डल अजमेर के यहॉ अपील करने पर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 07.01.2016 को अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 01.12.2015 व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 20.07.1976 को निरस्त कर दिया गया एवं मंगलचन्द को उक्त भूमि का खातेदार मान्य किया गया। तत्पश्चात् शंकरलाल द्वारा राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 07.01.2016 के विरूद्व एक सिविल रिट माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के यहां उनवानी शंकरलाल बनाम मंगलचन्द प्रस्तुत की जिसके विचाराधीन रहने के दौरान मंगलचन्द ने अपने कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 1552 रकबा 2.16 है0 को अपीलांट्स को विक्रय कर दी गई। मंगलचन्द का देहान्त होने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ने आपस में दुरभिसंधि करके विचाराधीन सिविल रिट पिटीशन को खारिज करवाकर मंगलचन्द के समस्त वारिसों के नाम नामान्तरकरण न खुलवाकर केवल अपने नाम व मंगलचन्द की पत्नि के नाम नामान्तरकरण संख्या 1890 खुलवा लिया। जबकि रेस्पो0 संख्या 2 के मिनाक्षी पुत्री व कृष्णा पुत्र है। अतः कानूनन तीनों वारिसों के नाम 1/3 हिस्सा खुलना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नामान्तरकरण खोला गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1890 दिनांक 31.01.2023 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से वारिसों की जॉच पश्चात् ही नामान्तरकरण संख्या 1890 दिनांक 31.01.2023 तस्दीक किया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 11.03.2023 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजीयात खसरा नं. 1552 रकबा 2.16 है0 जिसके रिकार्डेड खातेदार मंगलचन्द की मृत्यु उपरान्त तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा मंगलचन्द के वारिस के नाम नामान्तरकरण संख्या 1890 दिनांक 31.01.2023 भरा गया है। जिसमें अपीलांट्स का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अपीलांट्स का कथन है कि उक्त विवादित भूमि विक्रय अनुबन्ध–पत्र के माध्यम से मंगलचन्द के जीवित रहने के दौरान क्रय कर ली थी। इसके लिए हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट्स द्वारा अनरजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के विवाद के संबंध में संबंधित न्यायालय में विधिक प्रावधानों के तहत् चाराजोही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. अपीलांटस का लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से खारिज किया जाता है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर का नामान्तरकरण संख्या 1890 निर्णय दिनांक 31.03.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/7/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर